न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बरः-2397)

UPST010064562023

फौजदारी वाद संख्याः-351/2023,
श्याममती-------- बनाम--------कल्पनाथ दूबे आदि,
दिनांक 30.07.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

2. संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2022 की रात्रि में विपक्षीगण कल्पनाथ दूबे, ध्रुव कुमार दूबे एवं धीरज कुमार दूबे उसके चिलबिल के पेड़ को काटकर ले गये। अगले दिन दिनांक 19.07.2022 को प्रातः लगभग 7:00 बजे पूछताछ करने पर विपक्षीगण ने परिवादिनी एवं उसकी सास गंगादेई को जातिसूचक अपमानजनक शब्द कहते हुए गाली-गलौज की, मारपीट की, घर में घुसकर हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी, जिससे दोनों को चोटें आईं।

3. परिवादिनी द्वारा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.07.2022 की रात्रि में विपक्षीगण कल्पनाथ दूबे, ध्रुव कुमार दूबे एवं नीरज कुमार दूबे उसके चिलबिल के पेड़ को काटकर ले गये। अगले दिन प्रातः लगभग 8:00 बजे वह अपनी सास गंगादेई के साथ शिकायत करने गयी तो विपक्षीगण जातिसूचक अपमानजनक शब्द कहते हुए लाठी एवं गोदा से मारने लगे। परिवादिनी के घर भागकर आने पर विपक्षीगण उसके घर में घुस आये और उसके साथ मारपीट की तथा बचाने आई उसकी सास को भी पीटा, जिससे दोनों को पीठ एवं शरीर पर चोटें आईं। शोर सुनकर उसके चाचा वंशराज ने आकर बीच-बचाव किया, तब विपक्षीगण भाग गये। परिवादिनी ने यह भी कहा कि पूर्व में खेत को लेकर विवाद हुआ था, किन्तु मारपीट नहीं हुई थी।

4. पी0डब्लू0-1 राजपति द्वारा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.07.2022 की रात्रि में श्याममती के चिलबिल के पेड़ को चोरी से काटकर ध्रुव व धीरज उठा ले गए थे। दूसरे दिन प्रातः पता चलने पर दिनांक 19.07.2022 को सुबह लगभग 7:00 बजे श्याममती पूछने गई तो उपरोक्त तीनों लोगों ने श्याममती को चमारिन मादर कहकर गाली-गलौज करते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया। श्याममती भागकर अपने घर में घुस गई तो उपरोक्त तीनों लोग

श्याममती के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे तथा चमारिन मादर जैसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज की और जान से मारने की कोशिश की। शोर–गुहार पर तमाम लोग मौके पर आ गए और बीच–बचाव किया, तब जाकर श्याममती की जान बची।

5. पी0डब्लू0 2 बंसराज द्वारा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.07.2022 की रात्रि को कल्पनाथ दूबे, ध्रुव कुमार दूबे एवं धीरज कुमार दूबे चिलबिल के पेड़ को चोरी से काटकर अपने घर उठा ले गए। दूसरे दिन, दिनांक 19.07.2022 को प्रातः लगभग 7:00 बजे श्याममती जब कल्पनाथ दूबे आदि से पूछने गई और पूछताछ की, तो कल्पनाथ, ध्रुव कुमार एवं धीरज कुमार ने श्याममती को चमारिन कहकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज की तथा मारने के लिए दौड़ा लिया। श्याममती भागकर अपने घर में घुस गई, तो कल्पनाथ, ध्रुव कुमार एवं धीरज कुमार उसके घर में घुसकर श्याममती के साथ मारपीट करने लगे। श्याममती को बचाने उसकी सास आई तो उसे भी जातिसूचक गालियाँ दीं और मारपीट की। शोर–गुहार पर तमाम लोग मौके पर आ गए और बीच–बचाव किया।

6. पी0डब्लू0 3 गंगादेई द्वारा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.07.2022 की रात्रि को कल्पनाथ दूबे, ध्रुव कुमार दूबे एवं धीरज कुमार दूबे चिलबिल के पेड़ को चोरी से काटकर अपने घर उठा ले गए। दूसरे दिन, दिनांक 19.07.2022 को प्रातः लगभग 7:00 बजे श्याममती जब कल्पनाथ दूबे आदि से पूछने गई और पूछताछ की, तो कल्पनाथ, ध्रुव कुमार एवं धीरज कुमार ने श्याममती को चमारिन कहकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज की तथा मारने के लिए दौड़ा लिया। श्याममती भागकर अपने घर में घुस गई, तो कल्पनाथ, ध्रुव कुमार एवं धीरज कुमार उसके घर में घुसकर श्याममती के साथ मारपीट करने लगे। श्याममती को बचाने उसकी सास आई तो उसे भी जातिसूचक गालियाँ दीं और मारपीट की। शोर–गुहार पर तमाम लोग मौके पर आ गए और बीच–बचाव किया।

मैंने परिवादी के बयान, उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान तथा समस्त पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये सशपथ कथन में घटना के स्थान के सम्बन्ध में ही परस्पर विरोधी कथन किये गये हैं। परिवाद में यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा पहले परिवादिनी एवं उसकी सास के साथ मारपीट की गयी तथा उसके उपरान्त घर में घुसकर हमला किया गया, जबकि धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में यह कहा गया है कि परिवादिनी मारपीट से बचने के लिए अपने घर

भागकर गयी, जिसके बाद विपक्षीगण उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे। इस प्रकार घटना के मूल स्वरूप एवं स्थान के सम्बन्ध में ही परिवादिनी के कथनों में महत्वपूर्ण एवं मौलिक विरोधाभास विद्यमान है, जो परिवादी की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

8. परिवादिनी ने धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अपने कथन में यह कहा है कि शोर सुनकर उसके चाचा वंशराज मौके पर आये तथा बीच-बचाव किया, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से परिवाद, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना-पत्र अथवा अन्य प्रारम्भिक अभिलेखों में वंशराज के मौके पर आने अथवा बीच-बचाव करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह तथ्य प्रथम बार धारा 200 के कथन में जोड़ा गया प्रतीत होता है।

9. पी0डब्ल्यू0-1 राजपति ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया है, किन्तु उसने अपने कथन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह घटना-स्थल पर कब पहुँचा, किस प्रकार सम्पूर्ण घटना देखी अथवा उसकी उपस्थिति का स्रोत क्या था। यदि वह वास्तव में घटना के समय उपस्थित था तो स्वाभाविक रूप से परिवादिनी अपने धारा 200 के कथन में उसका उल्लेख करती, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी ओर पी0डब्ल्यू0 2 वंशराज ने भी अपने कथन में कहीं यह नहीं कहा है कि पी0डब्ल्यू0 1 राजपति घटना-स्थल पर उपस्थित था। इस प्रकार पी0डब्ल्यू0 1 की उपस्थिति स्वयं संदेहास्पद प्रतीत होती है।

10. परिवादिनी ने यह भी कहा है कि शोर-गुल सुनकर अनेक व्यक्ति मौके पर एकत्र हो गये थे, किन्तु न तो परिवाद में और न ही धारा 200 अथवा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में ऐसे किसी स्वतंत्र व्यक्ति का नाम अथवा पहचान अंकित की गयी है। ऐसे स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों को प्रस्तुत न किया जाना भी परिवादिनी के कथन की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

11. घटना के समय के सम्बन्ध में भी अभिलेखों में एकरूपता नहीं है। परिवाद में घटना का समय प्रातः लगभग 07:00 बजे अंकित किया गया है, जबकि धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में यही घटना प्रातः लगभग 8:00 बजे की बतायी गयी है। घटना के समय के सम्बन्ध में इस प्रकार का विरोधाभास भी परिवाद की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है। अभिलेख पर उपलब्ध थाना चांदा की आख्या से यह परिलक्षित होता है कि परिवादिनी एवं विपक्षीगण के मध्य गाटा संख्या-879 के सम्बन्ध में पूर्व से भूमि विवाद चला आ रहा था। आख्यानुसार उक्त भूमि में स्थित चिलबिल का पेड़ विपक्षीगण के अधिकार में था तथा दिनांक 18.07.2022 को खेत की सफाई के दौरान एक पेड़ स्वयं जड़ से उखड़कर गिर गया था, जिसे खेत के किनारे रख दिया गया था। उसी बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसे स्थानीय संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा तत्काल

समझा–बुझाकर समाप्त करा दिया गया था। जांच में मारपीट की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी।

परिवाद, धारा 200 एवं धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि घटना के स्थान, समय, प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति, बीच–बचाव करने वाले व्यक्तियों तथा घटनाक्रम के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण एवं मौलिक विरोधाभास विद्यमान हैं। साथ ही पक्षकारों के मध्य पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद की पृष्ठभूमि भी अभिलेख पर विद्यमान है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, थाने की आख्या के सम्यक् विचारोपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिवादी के आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय व पर्याप्त नहीं हैं तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही चलाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी वाद संख्या 351/2023 श्यामपति बनाम कल्पनाथ दूबे धारा 203 द0प्र0सं0/226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

Sd/-

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बरः–2397)
30-07-2026